कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 282/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 07.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 07.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना-निजामाबाद-युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 17.01.25 को वादी की नाबालिग पुत्री को प्रदीप गोड़ पुत्र कमला गोड़ निवासी चकरुल्ला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया। काफी खोजबीन के पश्चात लड़की का पता नही चलने पर वादी द्वारा दिनांक 21.01.25 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 18/25 धारा 87,137(2) BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवचना के क्रम में पीड़िता के बयान, मेडिकल व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) BNS व 3/4 पास्को एक्ट की बढोत्तरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 07.08.25 को उ0नि0 मो0 शमशाद खाँ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रदीप गौड़ पुत्र कमला गौड़ निवासी चकखैरूल्ला पोस्ट मोलनापुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ उम्र लगभग 20 वर्ष को शिवली समय करीब सुबह 08.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

01. प्रदीप गौड़ पुत्र कमला गौड़ निवासी चकखैरूल्ला पोस्ट मोलनापुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0स0 18/25 धारा-87,137(2),64(1) बीएनएस व 3/4 पास्को एक्ट थाना निजामाबाद

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः-

01. उ0नि0 मो0 शमशाद खाँ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
02. का0 सुमित सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
03. का0 सुजीत कुमार मौर्य थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 07.08.2025, जनपद आजमगढ़

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में क्राइम मीटिंग कर, अपराध की समीक्षा की गई तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

दिनांक 06.08.2025 की रात्रि को ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना*** द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारियों एवं शाखा प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी। मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने निम्नलिखित बिन्दुओं की समीक्षा की गयी।

➡चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु पिकेट गस्त एवं प्रभावित क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

➡चोरी व नकबजनी की घटनाओ के शत प्रतिशत अनावरण एवं संपत्ति की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया।

➡गम्भीर घटनाओं में राजपत्रित अधिकारी 24 घण्टे में घटना स्थल का निरीक्षण अवश्य करे।

➡दो सम्प्रदायों के मध्य घटित छोटी से छोटी घटना का तत्काल संज्ञान लेकर विधिक समाधान कराया जाये।

➡थाना परिसर में खडे वाहनों का अविलम्ब निस्तारण कराया जाय।

➡थाना परिसरो में नियमित रूप से साफ सफाई करायी जाये।

➡माननीय न्यायालय से समन्वय स्थापित कर मुकदमो से सम्बन्धित निर्णयिक मालों का निस्तारण कराया जाये।

➡IGRS के प्रार्थना पत्रो का समयवद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये।

➡थानों पर आने वाले फरियादिओं की समस्याओं का यथाशीघ्र विधिक निस्तारण कराये जाये।

➡स्थान व समय बदल- बदल कर वाहन चेकिंग करायी जाये तथा नियम विरूद्ध पाये जाने पर यथोचित कार्यवाही की जाये।

➡महिलाओं की समस्याओ को शीर्ष प्रथामिकता प्रदान करते हुये शीघ्र निस्तारित कराया जाये।

➡भ्रष्टाचार की जीरो टार्लेंस नीति का पालन कराया जाये। अधिक संख्या में लंबित विवेचनाओं का क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अर्दली रूम का आयोजन कर यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाये।

➡माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये तथा गैंगस्टर एक्ट के अपराध से अर्जित संपत्तियों का नियमानुसार पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

➡टाप-टेन अपराधियों के विरूद्ध आपराधिक सक्रियता के आधार प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।

➡साइबर फ्राड के सम्बन्ध में जीआरपी व आरपीएफ से समन्वय स्थापित कर निस्तारण किया जाय।

➡डीजीपी महोदय द्वारा 10 बिन्दु के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश की चर्चा की गयी।

➡संवेदनशील स्थानों पर समय बदल-बदल कर चेकिंग का अभियान चलाया जाय।

➡उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मुधवन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

03.थाना-जीयनपुर:- साइबर फ्राड के कुल 9232.38 रूपया आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

पूर्व की घटना/इतिहास–

आवेदक हरिलाल पुत्र स्व0 रामदरश निवासी महावतगढ़ थाना जीयनपुर आजमगढ़ के फेसबुक आईडी पर रिश्तेदार के फेसबुक आईडी से मैसेंजर के माध्यम से मैसेज प्राप्त हुआ। बताया गया कि मै घर आने वाला हूँ अपना बैंक पासबुक भेज दीजिए तब प्रार्थी द्वारा पासबुक भेज दिया गया फ्राडर द्वारा आवेदक के खाते में ढाई लाख रूपये भेजकर मैसेज किया गया कि पैसा वेरीफिकेशन के लिए कुछ देर बाद काल जायेगा। कुछ देर बाद मो0नं0 96xxxxxxxx से काल आया कि आपके खाते में ढाई लाख रूपया कैसा आया है आवेदक द्वारा बताया गया कि मेरे रिश्तेदार ने भेजा है कुछ समय बाद रिश्तेदार का फिर मैसेज आया कि मुझे एमबेसी में छुट्टी लगाने गया हूँ वहा मुझे बन्धक बना लिया गया है मुझे 97000 रूपया एमबेसी में देना था मुझे पता नही था कुल आपको भेज दिये है आप मुझे 97000/- रूपया भेज दीजिए। जो ढाई लाख रूपया भेजे है कल मिल जायेगा तो उसी में से ले लेना। तब प्रार्थी विश्ववास में आकर फ्राडर/ रिश्तेदार को 45000/- रूपया 18.12.2024 को भेज दिया था। तत्तपश्चात फ्राड होने के उपरान्त आवेदक हरिलाल द्वारा साईबर हेल्पलाईन नं0 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज करायी गयी शिकायत की जाँच क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ द्वारा चलाये जा रहे साइबर फ्राड सम्बन्धित प्रकरण में साइबर फ्राड हुये पैसे को आवेदक को वापस दिलाने के क्रम में क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा आवेदक हरिलाल पुत्र स्व0 रामदरश निवासी महावतगढ़ थाना जीयनपुर आजमगढ़ का दिनांक 18.12.2024 को फ्राड हुए रूपया 45000/- में से दिनांक 04.08.2025 को 9232.38 रूपया आवेदक के खाते मे बरामद कराया गया।

बरामद करने वाली टीम-

1. जितेन्द्र बहादुर सिंह थानाध्यक्ष जीयनपुर आजमगढ़
2. उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. क0आ0 शहादत अंसारी थाना जीयनपुर आजमगढ़

04.थाना-बरदहः- साइबर फ्राड की कुल 50,000 रूपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.06.25 को आवेदक श्रवण पाठक निवासी ग्राम दरियापुर बसही थाना बरदह जिला आजमगढ़ द्वारा मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करते समय मोबाइल नम्बर गलत होने के कारण पैसा किसी अन्य खाते में ट्रांसफर हो गया था। पैसा वापस नही मिल पाने पर आवेदक द्वारा दिनांक 18.07.25 को NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया गया। जिसका Ack No. 23107250102498 है। साइबर हेल्प डेस्क टीम थाना बरदह द्वारा तत्काल कार्यवाही करते बांच मैनेजर से वार्ता कर आवेदक का पैसा 50000/- रुपया उसके बैंक खाता में वापस कराया गया।

रूपया वापसी का विवरणः-

साइबर अपराध के रोकथाम के दृष्टिगत थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह के निर्देशन में थाना बरदह के साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त उ0नि0 मनीष सिंह द्वारा आवेदक श्रवण पाठक उपरोक्त के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए आवेदक का पैसा 50000/- रुपया उसके बैंक खाता में वापस कराया गया।

पैसा वापस कराने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

01.थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह थाना बरदह
02.उ0नि0 मनीष सिंह (साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी) थाना बरदह
03.का0 नीरज यादव (साइबर हेल्प डेस्क) थाना बरदह
04.म0आ0 अर्चना यादव (साइबर हेल्प डेस्क) थाना बरदह